Form No:6081

Office of the District Basic Education Officer

SIDDHARTH NAGAR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **RAGHUVAR PRASAD JAISWAL SARASWATI SHISHU MANDIR I C,TETARI BAZAR SIDDHARTHNAGAR** is permanently recognized for Primary(class 1 to 5).The Recognition number alloted to RAGHUVAR PRASAD JAISWAL SARASWATI SHISHU MANDIR I C is **SID09545620257.**The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	**16-01-2024**(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	Old
4.School Type	Pre-Primary School and Primary School
5.Recognition No.	SID09545620257

DATE:- 16-01-2024

PLACE:- SIDDHARTH NAGAR

District Basic Education Officer

Validity unknown

Digitally signed by [illegible]ENDRA KU[illegible]
Date: 2024.01.16 12:[illegible]8:32
Reason: For Digital Signa[illegible]re
Location: SIDDHAR[illegible]GAR

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

Signed using www.Signer.Digital WebLib

प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
[illegible] मण्डल, गोरखपुर ।

सेवामें,

प्रबन्धक
रघुवर प्रसाद अग्रवाल सरस्वती [illegible] मन्दिर पू०मा०वि०,
सेमरीनगर सिद्धार्थनगर ।

पत्रांक/शि०वि०/मान्यता/ 1574-82 /93-94 दिनांक 30/9/93

विषय:- अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) "ब" श्रेणी की मान्यता के बारेमें ।

=====x====

महोदय,

शासनादेश संख्या 2?7/15-6-92- 3 एल (7)/89 दिनांक 11-5-92 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा- 6से 8 तक " ब " श्रेणी की मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है । प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति प्रदान की जाती है । इस प्रकार विद्यालय में कुल तीन वर्ग मान्य होंगे । अतिरिक्त वर्गों की अनुमति तथा संचालन हेतु पृथक से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे:-

प्रधानाध्यापक	-एक
सहायक अध्यापक	-चार
लिपिक	- एक
चतुर्थ श्रेणी कर्म[illegible]	- एक

[illegible] में शिल्प/कला/प्रशिक्षित अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे । किन्तु शिल्प/कला [illegible] पद की अनुमन्यता हेतु उपर्युक्त सृजित सहायक अध्यापक के चार पदों में से पद परिवर्तन संबंधी पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा । शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार, उ0प्र0, बेसिक शिक्षा [illegible] को होगा ।

ह० अपठनीय 30.9.93
([illegible] विक्रम बहादुर सिंह)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
[illegible] मण्डल, गोरखपुर ।

पृ०सं०/शि०वि०/मान्यता/ /30/9/93 तद्दिनांक तिथि को

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, शिक्षा निदेशालय, [illegible] ।
2- सचिव, उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
3- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
4- लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
6- उप विद्यालय निरीक्षक,/शिक्षा अधीक्षक, सिद्धार्थनगर ।
7- कार्यालय गार्ड फाइल हेतु ।

(विक्रम बहादुर सिंह)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
[illegible] मण्डल, गोरखपुर ।

रजिस्टर्ड

हाईस्कूल परीक्षा

(12)

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,

रघुबर प्रसाद जायसवाल सरस्वती शिशु मंदिर
तेतरी बाजार सिद्धार्थनगर।

पत्रांक: मा०शि०प०/मान्यता/वाराणसी/ 3423 /दिनांक: 9-7-2001

विषय: सीधें/हाईस्कूल नवीन की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने राजाज्ञा संख्या: 1113/15-7-4(57)/2001 दिनांक 22मई, 2001 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 9(4) के अन्तर्गत आपकी संस्था रघुबर प्रसाद जायसवाल सरस्वती शिशु मंदिर तेतरीबाजार सिद्धार्थनगर। को इण्टरमीडिएट शिक्षा संशोधन अधिनियम 1987 की धारा 7 के प्रावधानों को प्रबंधतंत्र द्वारा बिना शर्त अंगीकार करने की दशा में बालक/बालिका विद्यालय के रुप में परिषद् की हाईसकूल परीक्षा वर्ष से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) वित्त-विहीन मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-

सामान्य प्रतिबन्ध

1-- प्रबन्धतंत्र कक्षा 9 की कक्षायें संचालित करने पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्ध की पूर्ति तथा विद्यालयों के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

2--- इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 9 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय। अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

3-- साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय।

4-- इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने श्रोतों से व्यवस्था के लिए संस्था- उत्तरदायी होगी।

5-- विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था संस्था द्वारा अपने श्रोतों से की जाय।

6-- नवीन कक्षाएं संचालित कराने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगें।

विशेष प्रतिबन्ध

क-- संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता संबंधी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

ख-- परिशिष्ट क में अंकित। से 7का प्रमाणपत्र एवं आख्या निरीक्षक के माध्यम से। वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करें।

टिप्पणी-- इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति छः माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

ग- सभी प्रमाण पत्र एवं निरीक्षक की आख्या निर्धारित समयान्तर्गत प्रस्तुत न करने पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,
क्षेत्रीय सचिव
9/7

पृष्ठांकन संख्या: मा०शि०प०/मान्यता/ /दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1--जिला विद्यालय निरीक्षक सिद्धार्थनगर
2---सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक बस्ती
3--हाईस्कूल परीक्षा संस्थागत अनुभाग वाराणसी।
4--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय, इलाहाबाद

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा
परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय,
वाराणसी।

पी०एस०यू०पी० (वा०)--57 मा०शि०प०--18-9-2000 40,000 (कम्प्यू०/आफ०)।

मा०-9

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
क्षेत्रीय उप कार्यालय, वाराणसी

सेवा में,

प्रबन्धक, रघुबर प्रसाद जायसवाल सरस्वती शिक्षा मंदिर
उ0मा0वि0 तेतरी बाजार सिद्धार्थनगर

पत्र संख्या आई० बी० मान्यता 6139 वाराणसी, दिनांक 28-12-05 199

विषयः—आपका ~~हाई स्कूल~~/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/~~अतिरिक्त~~ (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7-क 'क' के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की ~~199~~ 2007 की ~~हाई स्कूल~~/इन्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/~~अतिरिक्त~~ वर्ग/विषयों में मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन ~~9वीं~~/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ को पूर्णरूपेण संतुष्ट ~~करें उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय।~~ बिना उनकी लिखित अनुमति के ~~संचालित कक्षा~~ अमान्य व अनियमित होगी ~~और इसके लिये संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।~~

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।~~ तथा क्षे0का0, मा0शि0प0, वाराणसी को कक्षा संचालन की लिखित सूचना रजि0 डाक से दें।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिये सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ की नियुक्ति नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/~~प्रधानाचार्या~~ की नियुक्ति की जाय।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख)

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
वैज्ञानिक	1. सामान्य हिन्दी	2. भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, 4. जीवविज्ञान, 5- गणित, 6. अंग्रेजी

टिप्पणी (1) कक्षा 11 में प्रवेश हेतु कम से कम 40 छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/निरीक्षिका कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

भवदीय,

अपर सचिव।

28/12

पृष्ठांकन संख्या आई० बी० मान्यता। दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका। सिद्धार्थनगर

(2) मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक। बस्ती

(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र० इलाहाबाद।

(4) हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा संस्थागत अनुभाग। वाराणसी।

अपर सचिव।

प्रपत्र-1

मा0-9

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद

क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,

रघुवर प्रसाद जायसवाल सरस्वती शिशु मन्दिर इण्टर कालेज

तेतरी बाजार–सिद्धार्थनगर।

पत्रांक: मा0शि0प0/मान्यता/वाराणसी/ 3106 / दिनांक 01/06/2010

विषय: इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये ~~नवीन~~/~~अतिरिक्त~~ (वर्ग/~~विषय~~) वाणिज्य की मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

महादेय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-7-क 'क' के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष 2012 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/~~विषयों~~ में सामान्य व विशेष प्रतिबंधों के साथ ~~नवीन~~/अतिरिक्त वर्ग/~~विषयों~~ में मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबंध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण- सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबंधों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक को पूर्णरूपेण संतुष्ट करें।

(2) कक्षा संचालन की लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक से जिला विद्यालय निरीक्षक/परिषद कार्यालय को तत्काल भेजें।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिये सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ की नियुक्ति नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/~~प्रधानाचार्या~~ की नियुक्ति की जाय।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) विद्यालय का प्रबंधतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगें, अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
वाणिज्य अति0	**सामान्य हिन्दी**	**व्यापारिक संगठन तथा पत्र व्यवहार, औद्योगिक संगठन,अधिकोषण तत्व, गणित एवं प्रारम्भिक सांख्यकी बहीखाता तथा लेखाशास्त्र।**

टिप्पणी (1)कक्षा **11** में प्रवेश हेतु कम से कम **40** छात्र उपलब्ध होने चाहिए।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव

पृष्ठांकन संख्याः मा0शि0प0/मान्यता/ / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1-जिला विद्यालय निरीक्षक, **सिद्धार्थनगर।**
2-सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **बस्ती।**
3. इण्टरमीडिएट परीक्षा संस्थागत अनुभाग वाराणसी।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।